न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या 28/2023

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. हरभजन सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. चन्द सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. कलवन्त सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. परमजीत कौर पत्नी हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	1. पृथ्वी सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरप्रीत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलराज सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 21.02.2023

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादीगण
2.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

--निर्णय-- **दिनांकः** 16/10/2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 110/15 में कुल 0.995 हेक्टैयर, खाता संख्या 113/21 में कुल 4.743 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 85/12 में 1.860 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 78/65 में 10.649 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 73/62 में 2.403 हेक्टैयर भूमि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने अपनी-अपनी काश्त सहूलियत के लिए उक्त भूमि का दिनांक 13.04.2022 को घरू बंटवारानामा किया हुआ है तथा इसी अनुसार अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है और इसी अनुरूप वादीगण घोषणा व बंटवारा का दावा ला पाने के अधिकारी है। वादाधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट चुकी है इस कारण भूमि की काश्त करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सिंचाई करने, गिरदारी व लगान आदि के बाबत् व रस्ता के बाबत् भारी असुविधा होती है और परेशानी बनी रहती हैं। जब तक संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक संयुक्त खाता की भूमि का प्रत्येक इंच पर, प्रत्येक सहखातेदार का बहिस्सा बराबर कब्जा माना जाता है। इसलिए इस परेशानी का एक मात्र उपाय यह है कि माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत करके संयुक्त खाता की भूमि का विधिवृत बंटवारा करवाया जाकर विभाजन की डिक्री प्राप्त की जावे। इस कारण वादीगण वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। वादीगण दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण से मिले व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर घरू बंटवारानामा दिनांक 13.04.2022 के मुताबिक खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा ने उपस्थित आए। वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनो पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 110/15 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 0.995 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 113/21 के मुरब्बा नम्बर 8, 23, 53/4 की कुल 4.743 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 85/12 के मुरब्बा नम्बर 5 की 1.860 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 78/65 के मुरब्बा नम्बर 16, 34, 41 की 10.649 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 73/62 के मुरब्बा नम्बर 7, 53/17 की कुल 2.403 हेक्टैयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 12 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 110/15 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 0.995 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 113/21 के मुरब्बा नम्बर 8, 23, 53/4 की कुल 4.743 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 85/12 के मुरब्बा नम्बर 5 की 1.860 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 78/65 के मुरब्बा नम्बर 16, 34, 41 की 10.649 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 73/62 के मुरब्बा नम्बर 7, 53/17 की कुल 2.403 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	हरभजन सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(3.938 हैक्टेयर) चन्द सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।(2.401 हैक्टेयर) कलवन्त सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ (3.163 हैक्टेयर) परमजीत कौर पत्नी हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।(0.415 हैक्टेयर)	12 ओ	07	10/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	1.01
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				12 ता 19	2.024 हैक्टेयर	नहरी	18.0
			53/17		0.037 हैक्टेयर	गै.मु.खा	0.00
			8	3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				5	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
			53/04		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा	0.00
			5	16/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	1.01
				17/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				18/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				19/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

			20/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
			21 ता 24	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
		16	16	0.143 हैक्टेयर	नहरी	1.27
			17	0.143 हैक्टेयर	नहरी	1.27
			18	0.143 हैक्टेयर	नहरी	1.27
			19	0.143 हैक्टेयर	नहरी	1.27
			20	0.143 हैक्टेयर	नहरी	1.27
			21 ता 24	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			25	0.252 हैक्टेयर	नहरी	2.24
		34	16 ता 20	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.25
			23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			24	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
			25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
		33	1/2	0.236 हैक्टेयर	नहरी	2.10
			3 ता 5	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
पृथ्वी सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।(4.325 हैक्टेयर) हरप्रीत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।(3.0776 हैक्टेयर) बलराज सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।(2.917 हैक्टेयर) सुखजिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।(0.414 हैक्टेयर)	12 ओ	08	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			6	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
			7 ता 14	2.024 हैक्टेयर	नहरी	18.0
			15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			17/2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
			18	0.252 हैक्टेयर	नहरी	2.24
			19, 20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
		16	6 ता 15	2.530 हैक्टेयर	नहरी	22.50
			16	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.98
			17	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.98
			18	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.98
			19	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.98
			20	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.98
		23	16/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
		41	5/1	0.2063 हैक्टेयर	बारानी	0.90
			6/1	0.2064 हैक्टेयर	बारानी	0.90
			7,11ता13	1.012 हैक्टेयर	बारानी	4.40
			14	0.253 हैक्टेयर	बारानी	1.10
			15/1	0.2054 हैक्टेयर	बारानी	0.89
			16/1	0.2055 हैक्टेयर	बारानी	0.89
			17 ता 19	0.759 हैक्टेयर	बारानी	3.30
			20	0.253 हैक्टेयर	बारानी	1.10
			22, 23	0.506 हैक्टेयर	बारानी	2.20
			24/1	0.037 हैक्टेयर	बारानी	0.16

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 16/10/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)